कार्यालय जिला न्यायाधीश, पीलीभीत
संख्या 339 /2020 दिनांक : सितम्बर 07, 2020

<u>आदेश</u>

1. जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 07.09.2020 के अनुसार दिनांक 03.09.2020 को अधिकारियों/कर्मचारियों का कोरोना टैस्ट कराया गया तथादिनांक 05.09.2020 को कोरोना परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के कर्मचारी श्री रिशु शुक्ला कारोना पॉजिटिव पाये गये। शासनादेश के अनुसार उनके निवास को केन्द्र मानते हुये 100 मीटर के क्षेत्र को दिनांक 06.09.2020 से कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है तथा न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन कार्य करने की संस्तुति की जाती है।

2. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII&CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 03.06.2020 के बिन्दु सं0 15 पर निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं :–

> 15- Where the District Administration/CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court.

3. त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त संस्तुति आख्या के कम व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत दिनांक 08.09.2020 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाना आवश्यक है। अतः दिनांक 08.09.2020 को सेनेटाइजेशन हेतु जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत बन्द किया जाता है। उपरोक्त तिथि में बाह्य न्यायालय, बीसलपुर यथावत कियाशील रहेगा।

4. माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 28.07.2020 के अनुपालन में दिनांक 08.09.2020, को जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत बन्दी दिवस में सत्र न्यायालय, विशेष क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित न्यायालय, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (प्रवर खण्ड), सिविल जज (अवर खण्ड) के पीठासीन अधिकारी माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार अपने आवास के कार्यालय से कार्य सम्पादित करेंगें। यदि उपरोक्त न्यायालय रिक्त अथवा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं, तो ऐसे न्यायालयों का कार्य उनके प्रभारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

5. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 19.08.2020 में निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

6. श्री विवेक कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनन्य पोक्सो, पीलीभीत के पूर्व में ही कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उक्त न्यायालय का न्यायिक कार्य भी न्यायालय के प्रभारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

7. यह भी आदेशित किया जाता है कि दिनांक 07.09.2020 को नियत समस्त वादों में सामान्य तिथि नियत किया जाना सुनिश्चित किया जाये और इसकी सूचना कम्प्यूटर अनुभाग को दी जाये जो उसे न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करे तथा एस.एम.एस. के माध्यम से अधिवक्ता तथा पक्षकारों को सूचित करे।

8. निर्णय/बहस/अति आवश्यक मामले अपवाद होंगें तथा उसमें नजदीक की तिथि आवश्यकतानुसार नियत की जाये, जिसकी सूचना भी उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर अनुभाग तथा उनके स्तर से सम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी।

9. प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 08.09.2020 को समस्त न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय एवं बार परिसरों का सैनेटाइजेशन कार्य अपनी देखरेख में कराकर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 09.09.2020 को न्यायालय खोले जाने से पूर्व भी समस्त न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय एवं बार परिसरों का सैनेटाइजेशन कराकर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त अवकाश व न्यायालय

बन्दी की अवधि में रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिवसों की भांति करना सुनिश्चित करें।

11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश का दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना एवं अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

12. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय, पीलीभीत की बेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

13. पूर्व में पारित आदेश सं0 271/2020 एवं 272/2020 दिनांकित 06.08.2020 के द्वारा नियत कमशः सुश्री नन्दनी अग्निहोत्री, सिविल जज (अवर खण्ड)/त्वरित न्यायालय (महिला सुरक्षा) एवं सुश्री निधि सागर, सिविल जज (अवर खण्ड)/त्वरित न्यायालय पीलीभीत का अभियोजन कार्यालय में दिनांक 08.09.2020 का प्रशिक्षण यथावत कियाशील रहेगा।

14. पूर्व में पारित आदेश सं0 238/2020 दिनांकित 04.07.2020 के द्वारा श्री कुंवर मल्लिकाअर्जुन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत में एवं 269/2020 दिनांकित 06.08.2020 के द्वारा श्री मो0 सुहेल, अपर सिविल जज (अवर खण्ड), न्यायालय सं0–3, पीलीभीत का न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), पीलीभीत में दिनांक 08.09.2020 को नियत प्रशिक्षण न्यायालय बन्द होने के कारण स्थगित किया जाता है।

16. समस्त सम्बन्धित सूचित हों। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये।

दिनांक : सितम्बर 07, 2020

7/9/2020
(महताब अहमद),
जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत
07.09.2020

पत्रांक /प्रशा0–2020 दिनांकित : सितम्बर 07, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीलीभीत।
2. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना याचिका प्राधिकरण, पीलीभीत।
3. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4. पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
5. जेल अधीक्षक, पीलीभीत।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
8. अध्यक्ष/सचिव, जिला संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत।
9. अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार एसोसियेशन, पीलीभीत।
10. अध्यक्ष/सचिव, सेन्ट्रल बार एसोसियेशन, पीलीभीत।

दिनांक : सितम्बर 07, 2020

7/9/2020
(महताब अहमद),
जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत
07.09.2020